भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *188
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

'दिशा' योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम

***188. श्री राव राजेंद्र सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'दिशा' योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर विधिक सेवाओं की पहुंच का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितने गांवों और लाभार्थियों को शामिल किया गया है ;

(ख) 'दिशा' योजना के अंतर्गत चलाए गए विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान टेली-लॉ ऐप के प्रयोक्ताओं, लाभार्थियों और इसके माध्यम से प्रदान किए गए कानूनी परामर्श की संख्या सहित टेली-लॉ कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"'दिशा' स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 188, जिसका उत्तर तारीख 31.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : समग्र न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना (दिशा) स्कीम को दिशा 2.0 के रूप में वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु जारी रखा गया है । दिशा 2.0 का उद्देश्य विधिक सेवाओं के लिए नागरिक-अनुकूल समाधान मंचों के विकास और उनकी पहुंच का विस्तार करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना है । इसमें चार घटक सम्मिलित हैं, टेली-लॉ : रीचिंग द अनरीच्ड (सभी के लिए निःशुल्क पूर्व-विवाद विधिक सलाह); न्याय बंधु कार्यक्रम (प्रो बोनो विधिक सेवा); विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधि (सामंजस्यपूर्ण विधिक पहल के एकीकृत परिदान का विजन)– संजीवनी।

टेली-लॉ कार्यक्रम का क्रियान्वयन सीएससी-एसपीवी (सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड) के माध्यम से किया जा रहा है । इसके अधीन देशभर की पंचायत के स्तर पर स्थापित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीएस)/ग्राम स्तरीय उद्यम (वीएलईएस) पर उपलब्ध वीडियो/टेली-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के प्रयोग से निःशुल्क पूर्व-विवाद विधिक सलाह प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को टेली-लॉ मोबाइल एप और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं से जोड़ा जाता है । दिनांक 30.06.2026 तक टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल एप सहित, फायदाग्राहियों को 1.13 करोड़ से अधिक निःशुल्क पूर्व-विवाद विधिक सलाह प्रदान की जा चुकी हैं । टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन फायदा प्राप्त व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर दिया गया है ।

टेली-लॉ मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। दिनांक 30.06.2026 तक इस एप को 2.75 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस एप के माध्यम से 34,415 कॉल रजिस्ट्रीकृत की गईं और 33,334 पूर्व-विवाद विधिक सलाह प्रदान की गई है।

न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम के अधीन अधिवक्ता स्वैच्छिक रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन समाविष्ट समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करते हैं । दिनांक 30.06.2026 तक न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन 10,835 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हुए हैं और देशभर में फायदाग्राहियों द्वारा 5,559 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं। न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर दिया गया है ।

दिशा स्कीम के अधीन विधिक, साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) कार्यशालाओं, वेबिनारों, सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) सामग्री तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दिशा जागरूकता कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रसारण के

लिए प्रसार भारती के साथ सहयोग के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की क्षमता के निर्माण, उन्हें विधिक रूप से सशक्त बनाने और विधिक जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ सहभागिता और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करने की परिकल्पना करते है । प्रमुख सामाजिक-विधिक विषयों पर आधारित 28 विषयक राष्ट्रीय वेबिनारों का आयोजन भी किया गया है । दिनांक 30.06.2026 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में 2.32 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक संचयी रूप से पहुंच बनाई जा चुकी है । कार्यक्रम के अधीन आउटरीच व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

उपाबंध-1

"दिशा स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 188, जिसका उत्तर तारीख 31.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

30.06.2026 तक टेली-लॉ के अधीन समावेशित फायदाग्राहियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	जिलों की संख्या	दी गई सलाह
1	अंदमान और निकोबार	3	4,020
2	आंध्र प्रदेश	28	3,66,272
3	अरुणाचल प्रदेश	27	20,363
4	असम	35	2,40,507
5	बिहार	38	6,35,052
6	चंडीगढ़	1	6,154
7	छत्तीसगढ	33	5,13,665
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	3	11,079
9	दिल्ली	13	10,581
10	गोवा	3	13,516
11	गुजरात	34	4,84,490
12	हरियाणा	23	2,20,611
13	हिमाचल प्रदेश	12	1,21,224
14	जम्मू-कश्मीर	20	7,63,148
15	झारखंड	24	4,83,203
16	कर्नाटक	31	5,00,390
17	केरल	14	36,702
18	लद्दाख	2	3,312
19	लक्षद्वीप	1	2,482
20	मध्य प्रदेश	55	12,22,428
21	महाराष्ट्र	36	9,28,191
22	मणिपुर	16	1,484
23	मेघालय	12	30,320
24	मिजोरम	11	34,051
25	नागालैंड	17	29,897
26	ओडिशा	30	4,10,303
27	पुडुचेरी	2	3,230
28	पंजाब	23	3,01,832
29	राजस्थान	41	6,64,548
30	सिक्किम	6	2,820
31	तमिलनाडु	38	3,02,580
32	तेलंगाना	33	3,13,173
33	त्रिपुरा	8	97,785
34	उत्तर प्रदेश	75	20,53,422
35	उत्तराखंड	13	2,20,134
36	पश्चिमी बंगाल	23	2,69,674
	कुल	**784**	**1,13,22,643**

उपाबंध-2

"दिशा स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 188, जिसका उत्तर तारीख 31.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण विवरण ।

30.06.2026 तक न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन फायदाग्राहियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल रजिस्ट्रीकृत मामले	मामलों के प्रकार	
			सिविल	दाण्डिक
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	93	88	5
2	आंध्र प्रदेश	185	145	40
3	अरुणाचल प्रदेश	6	5	1
4	असम	52	47	5
5	बिहार	195	144	51
6	चंडीगढ़	109	53	56
7	छत्तीसगढ	66	62	4
8	दिल्ली	1104	790	314
9	गोवा	9	4	5
10	गुजरात	170	113	57
11	हरियाणा	204	171	33
12	हिमाचल प्रदेश	33	27	6
13	जम्मू-कश्मीर	99	98	1
14	झारखंड	97	78	19
15	कर्नाटक	401	254	147
16	केरल	49	30	19
17	मध्य प्रदेश	280	172	108
18	महाराष्ट्र	577	360	217
19	मणिपुर	2	2	0
20	मेघालय	4	4	0
21	मिजोरम	2	2	0
22	नागालैंड	1	1	0
23	ओडिशा	91	66	25
24	पुडुचेरी	1	1	0
25	पंजाब	62	49	13
26	राजस्थान	237	210	27
27	सिक्किम	1	1	0
28	तमिलनाडु	131	117	14
29	तेलंगाना	190	114	76
30	त्रिपुरा	2	0	2
31	उत्तर प्रदेश	625	465	160
32	उत्तराखंड	90	79	11
33	पश्चिमी बंगाल	391	247	144
	कुल	**5,559**	**3,999**	**1,560**
